न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	सुभाष / सुखी लाल देवी
25/10/16	बाबूलाल उम्र 34 / आवेदी वकील उम्र 34 / प्रतिवादी वकील ने उक्त का निवेदन कर प्रकरण में जारी T.I. आदेश को लिखित रद्द करवाने का निवेदन किया / आवेदी वकील ने ना तो कोई एतराज किया जबकि पक्ष नहीं किया गया / उक्त सुनवाई उपरान्त पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20-8-2014 को लिखित रद्द करवाने किया जाता है पत्रावली नस्ती हुकम हाकिम रद्द करवाने दाखिल दफ्तर की जावे /

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner